EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 848—858

Dated 16-6-2012

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2012

सा.का.नि. 143.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय प्रूफ रीडर या प्रूफ वाचक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1993 तथा सीमा सुरक्षा बल उप निरीक्षक (प्रूफ रीडर योधक पद) भर्ती नियम, 1999 से संबंधित हैं को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल के सीमा सुरक्षा बल में प्रूफ रीडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर योधक भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **अन्यदेशीय की अपात्रता.**—इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को, सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में समाविष्ट कोई भी प्रावधान नेपाल या भूटान के नागरिकों को इस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति, भर्ती या नियोजित करने से वंजित नहीं करेगा ।

7. **अधिवर्षिता.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई कार्मिक उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

8. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) शेप-I का तात्पर्य निम्नानुसार चिकित्सा प्रवर्ग से है :—

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है :—

एस — मनोवैज्ञानिक (Psychological)

एच —श्रवण क्षमता (Hearing)

ए — अपैन्डेजेस (Appendages)

पी —शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

ई —दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) अधिकारी की कार्य क्षमता को प्रत्येक कूट अक्षर के सामने 1 से 5 तक अंकों से दर्शाया जायेगा जो क्रमश: घटती हुई कार्यक्षमता को दर्शाएंगे और अंकों को कूट अक्षर के सामने लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां कोई अधिकारी सभी मानकों में ग्रेड-I में है तो उसकी श्रेणी को S1H1A1P1E1 लिखने की बजाय SHAPE-1 लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नलिखित है :—

(1) कहीं भी हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ ।

(2) हर प्रकार की ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन कार्यों के प्रकार और कार्य क्षेत्रों के अनुसार सीमित जो इस बात पर निर्भर है कि इन कार्यों में अत्यधिक मानसिक दवाब या श्रवण अथवा दृष्टि क्षमता अथवा आंख और कान दोनों की तीक्ष्णता अपेक्षित है अथवा नहीं।

(3) "एस" मानक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली ड्यूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए असमर्थता हो सकती है ।

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी के कारण अवकाश के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ ।

(5) ड्यूटी के लिए स्थायी रूप से अस्वस्थ ।

9. वर्दी और बुनियादी प्रशिक्षण.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल मैनुअल जिल्द-7 में यथा विनिर्दिष्ट वर्दी पहननी होगी और सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट विषयों पर नौ सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

10. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

11. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निरीक्षक (प्रूफ रीडर)	03* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2, 9300 —34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति—** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 के वेतनमान 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2800 रु. में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव हो :— (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के तौर पर अंग्रेजी या हिन्दी के साथ स्नातक/डिग्री या समतुल्य (ii) जो किसी अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र कार्यालय में प्रूफ शोधन में तीन वर्ष कार्य का अनुभव तथा प्रिंटिंग/मुद्रण कार्य का अनुभव रखते हैं (iii) जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में है । **टिप्पण 1 :** ऐसे सहायक उपनिरीक्षक (प्रूफ रीडर) जिन्होंने वेतन ग्रेड 2800 रु. में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हों, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन होता है तो इसे प्रोन्नति माना जाएगा । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । II. भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :— सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिवर्ज में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । **टिप्पण 1:** —ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।